प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में मूल्य ह्रास आरक्षित निधि नियमावली-2005 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट व्यवस्था से 30 मशीनों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक आपके पत्र संख्या-301 ए0पी0/33ए0पी0/04/2016-17, दिनांक 07.03.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल लोक निर्माण विभाग के उपयोगार्थ निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित 30 नई मशीनों के क्रय हेतु स्तम्भ-5 के अनुसार रू0 8,30,36,000/- (रूपया आठ करोड़ तीस लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उक्त धनराशि रू0 8,30,36,000/- (रूपया आठ करोड़ तीस लाख छत्तीस हजार मात्र) व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	क्रय हेतु मशीनों का विवरण	मशीनों की सं0	दर	धनराशि (रूपये में)
1	2	3	4	5
1	स्टेटिक रोड रोलर (8-10 ton)	20	16,51,800.00	3,30,36,000.00
2	वाईब्रेटरी रोड रोलर (8mt)	06	35,00,000.00	2,10,00,000.00
3	सेंसर पेवर (2.5m-4.5m)	04	75,50,000.00	2,90,00,000.00
	कुल मशीनों की संख्या	**30**	**कुल योग**	8,30,36,000.00

2- प्रश्नगत मशीनों का क्रय निम्नलिखित शर्तो के अधीन किया जायेगा:-

(1) मशीनों का क्रय सुसंगत वित्तीय एवं वर्तमान नियमों, शासन के स्थायी शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि केवल प्रश्नगत मशीनों के क्रय पर ही व्यय की जायगी।

(3) समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत मितव्ययिता के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में मूल्य ह्रास आरक्षित निधि अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04--मूल्य ह्रास आरक्षित निधि से मशीनरी तथा उपस्कर क्रय-00-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के अन्तर्गत की गयी आय-व्ययक व्यवस्था से वहन किया जायेगा तथा उक्त मदों के नामे" डाला जायेगा।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव

संख्या उपरोक्त तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लो0नि0वि0, लखनऊ।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन ।
4- मुख्य अभियन्ता (वि0/यां0)/वित्त नियंत्रक, लो0नि0वि0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
7- नियोजन अनुभाग-4 ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
9- लोक निर्माण अनुभाग-10 ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।